	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
सत्यमेव जयते	साअधिकार प्रकाशित	*Published by Authority*
	फाल्गुन 22, गुरूवार, *शाके* 1941–मार्च 12, 2020 *Phalguna 22, Thursday, Saka 1941–March 12, 2020*	

भाग 7

विभिन्न विभागों में प्रदायो के लिए टेन्डर मांगने की सूचनाओं को सम्मिलित करते हुये सार्वजनिक और निजी विज्ञापन।

राजस्थान विद्‌युत विनियामक आयोग

अधिसूचना

जयपुर, फरवरी 28, 2020

संख्या रा.वि.वि.आ./सचिव/ विनियम/स. 136:-विद्‌युत अधिनियम 2003 (2003 का 36वां) की धारा 61, सपठित धारा 181 द्‌वारा प्रदत्त शक्तियों और उस निमित उसे समर्थ बनाने वाली समस्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये, राजस्थान विद्‌युत विनियामक आयोग, पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, एतद्‌द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. <u>लघुशीर्षक तथा प्रारम्भण</u>

(1) ये विनियम, **''राजस्थान विद्‌युत विनियामक आयोग (टैरिफ विनिर्धारण हेतु निबन्धन व शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2020''** कहलायेंगे।

(2) ये विनियम, इन विनियमों के शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होंगें।

2. विनियम 5 के उप विनियम (4) में संशोधन:

विनियम 5 के उप विनियम (4) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

''(4) इन विनियमों की अधिसूचना के पश्चात् नियन्त्रण अवधि के किसी भी वर्ष के लिये स.रा.आ./टैरिफ याचिका दायर करते समय अनुज्ञप्तिधारी या रा.भा.प्रे.के. को नियन्त्रण अवधि की शेष अवधि के लिये बहुवर्षीय टैरिफ विनिर्धारण के लिये याचिका दायर करने का विकल्प होगा। यदि अनुज्ञप्तिधारी या रा.भा.प्रे.के. बहुवर्षीय टैरिफ विनिर्धारण के लिये विकल्प चुनता है तो उन्हें समग्र राजस्व आवश्यकता, विद्‌यमान टैरिफ से प्रत्याशित राजस्व और नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक शेष वर्ष के लिये प्रस्तावित टैरिफ का पूर्वानुमान प्रस्तुत करना होगा तथा नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के लिये आयोग स.रा.आ. एवं टैरिफ का विनिर्धारण करेगा:

बशर्ते कि यदि अनुज्ञप्तिधारी या रा.भा.प्रे.के. ने बहुवर्षीय टैरिफ विनिर्धारण के लिये विकल्प चुना है तो उन्हें नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक वर्ष के दौरान गत वर्ष के लिये स.रा.आ. के ट्रयूइंग-अप के लिये याचिका प्रस्तुत करनी होगी तथा गत वर्ष के ट्रयूइंग- अप के आधार पर आगामी वर्ष के लिये स.रा.आ. और टैरिफ के पुन:निर्धारण के लिये याचिका प्रस्तुत कर सकते है।

बशर्ते यह कि बहुवर्षीय टैरिफ विनिर्धारण के लिए संबंधित कंपनी के प्रबंध निदेशक समय पर ट्रयूइंग-अप याचिकाएं दायर करने के लिए उत्तरदायी होंगे। यदि अनुज्ञप्तिधारी या रा.भा.प्रे.के. पिछले वित्तीय वर्ष की ट्रयूइंग- अप याचिका इन विनियमों में निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर दायर नहीं करता है तो वे बहुवर्षीय टैरिफ व्यवस्था के अन्तर्गत बढ़े हुए टैरिफ के प्रभार के लिये

हकदार नहीं होंगे और इस तरह की शास्ति जैसा कि आयोग निर्धारित करे, के लिये भी दायित्वाधीन होंगे।

बशर्ते यह भी कि किसी भी अतिरिक्त उपार्जन को अगले ट्रू-अप याचिकाओं में उपयुक्त रूप से समायोजित किया जायेगा। यदि यह पाया जाता है कि अनुज्ञप्तिधारी या रा.भा.प्रे.के. अत्यधिक लाभ का उपार्जन कर रहे हैं या ट्रू-अप याचिकाओं को दायर नहीं करने के मामले में, आयोग स्वप्रेरणा से टैरिफ को उपयुक्त रूप से संशोधित करने के लिए आदेश जारी कर सकता है।''

3. विनियम 6(1) के तृतीय परन्तुक में संशोधन:

विनियम 6(1) के तृतीय परन्तुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

''बशर्ते यह कि यदि अनुज्ञप्तिधारी या रा.भा.प्रे.के. ने बहुवर्षीय टैरिफ विनिर्धारण के लिये विकल्प चुना है तो उन्हें नियन्त्रण अवधि के प्रत्येक शेष वर्ष के लिये स.रा.आ. की स्वीकृति तथा टैरिफ के निर्धारण के लिए बहुवर्षीय टैरिफ याचिका को दायर करना होगा।''

4. विनियम 10(1) के प्रथम परन्तुक में संशोधन:

विनियम 10(1) के प्रथम परन्तुक को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

''बशर्ते यह कि यदि अनुज्ञप्तिधारी या रा.भा.प्रे.के. ने बहुवर्षीय टैरिफ निर्धारण का विकल्प चुना है, तो आयोग नियंत्रणावधि के प्रत्येक वित्तीय वर्ष जिसके लिये याचिका दायर की गयी है, के लिये स.रा.आ. एवं टैरिफ का निर्धारण बहुवर्षीय टैरिफ याचिका की स्वीकृति के यथाअंश करेगा।''

5. विनियम 61 के उप विनियम (2) में संशोधन:

विनियम 61 के उप विनियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

''**(2)** यदि प्रसारण अनुज्ञप्तिधारी या रा.भा.प्रे.के. ने नियंत्रणावधि के प्रत्येक शेष वर्ष के लिये बहुवर्षिय टैरिफ विनिर्धारण के लिये विकल्प चुना है तो नियंत्रणावधि के प्रत्येक शेष वर्ष के लिये पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेंगे।''

6. विनियम 73 के उप विनियम (2) में संशोधन:

विनियम 73 के उप विनियम (2) को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाएगा:

''**(2)** यदि वितरण अनुज्ञप्तिधारी ने नियंत्रणावधि के प्रत्येक शेष वर्ष के लिये बहुवर्षिय टैरिफ विनिर्धारण के लिये विकल्प चुना है तो वितरण अनुज्ञप्तिधारी नियंत्रणावधि के प्रत्येक शेष वर्ष के लिये पूंजी निवेश योजना प्रस्तुत करेंगे।''

आयोग की आज्ञा से

बी. के. दोसी,

सचिव।

Rajasthan Electricity Regulatory Commission

NOTIFICATION

JAIPUR, February 28, 2020

No. RERC/Secy./Reg. No. 136:- In exercise of the powers conferred on it under Section 61 read with Section 181 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003), and all other powers enabling it in this behalf, the Rajasthan Electricity Regulatory Commission, after previous publication, hereby makes the following Regulations, namely:

1. Short Title and Commencement

(1) These Regulations shall be called the Rajasthan Electricity Regulatory Commission (Terms and Conditions for Determination of Tariff) (First Amendment) Regulations, 2020.

(2) These Regulations shall come into force from the date of publication of these Regulations in the official gazette.

2. Amendment in sub-regulation (4) of regulation 5.

The sub-regulation 4 of regulation 5 shall be substituted as under:

(4) "The Licensee or SLDC shall have an option for filing the Petition for Multi Year Tariff determination for the remaining period of the Control Period at the time of filing ARR/Tariff Petition for any year of the Control Period after notification of these Regulations. If the Licensee or SLDC has opted for Multi Year Tariff determination, it shall submit the forecast of Aggregate Revenue Requirement, expected revenue from existing tariffs and proposed tariff for each remaining year of the Control Period and the Commission shall determine the ARR & tariff for each year of the Control Period:

Provided that if the Licensee or SLDC has opted for Multi Year Tariff Determination, it shall submit the Petition for truing up of ARR for the previous year during each year of the Control Period and may submit the Petition to re-determine the ARR and Tariff for ensuing Year based on truing up of previous year.

Provided further that the Managing Director of concerned company opting for Multi Year tariff determination shall be responsible for timely filing True Up petitions. In case, the Licensee or SLDC does not file True up petition of previous financial year within the time limit specified in these Regulations, they will not be entitled to charge the increased tariff under multi year tariff regime and will also be liable to such penalty as the Commission may determine.

Provided also that any excess earning shall be suitably adjusted in next true-up petitions. If it is found that licensee or SLDC have been earning excessive profits or in case of non-filing of True up petitions, the Commission may issue Suo-Motu order to revise the tariff suitably."

3. Amendment in third proviso of regulation 6 (1).

The third proviso of regulation 6 (1) shall be substituted as under:

Provided further that in case the Licensee or SLDC has opted for Multi Year Tariff Determination, it shall file the Multi Year Tariff Petition for approval of ARR and determination of tariff for each remaining year of the Control Period.

4. Amendment in first proviso of regulation 10 (1).

The first proviso of regulation 10 (1) shall be substituted as under:

Provided further that in case the Licensee or SLDC has opted for Multi Year Tariff Determination, the Commission shall determine the ARR and Tariff for each financial year of the Control Period, for which petition is filed, as a part of approval of Multi Year Tariff Petition.

5. Amendment in sub-regulation (2) of regulation 61.

The sub-regulation 2 of regulation 61 shall be substituted as under:

If the Transmission Licensee or SLDC has opted for Multi Year Tariff Determination for each remaining year of the Control Period, the Transmission Licensee or SLDC shall submit the Capital Investment plan for each remaining year of the Control Period.

6. Amendment in sub-regulation (2) of regulation 73.

The sub-regulation 2 of regulation 73 shall be substituted as under:

If the Distribution Licensee has opted for Multi Year Tariff Determination for each remaining year of the Control Period, the Distribution Licensee shall submit the Capital Investment plan for each remaining year of the Control Period.

By order of the Commission

B. K. Dosi,

Secretary.

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।